रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 24, 2010/आश्विन 2, 1932
No. 245] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24, 2010/ASVINA 2, 1932

## केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2010

**सं. एल-1/10/2009-केंविविआ.**—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 36 की उप-धारा (1) के परंतुक के साथ पठित धारा 178 की उप-धारा 2(झ) तथा 2(यङ) तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

### अध्याय 1

### प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोग के लिए दरें, प्रभार तथा निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2010 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से समय-समय पर यथासंशोधित विद्युत अधिनियम, 2003(2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) "आवेदक" से ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, जिसमें समझा गया अनुज्ञप्तिधारी भी है, अभिप्रेत है, जिसने विद्युत पारेषित करने के लिए किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा प्रचालित मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अधिनियम की धारा 35 के अधीन आयोग को आवेदन किया है;

(ग) "आयोग" से अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "**संविदा मार्ग**" से ऐसा पारेषण मार्ग अभिप्रेत है जिसे पक्षकारों के बीच करार के लिए एकल निरंतर विद्युत मार्ग के रूप में पदाभिहित किया जा सकता है;

(ङ) "**ग्रिड संहिता**" से अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ज), जिसमें उसके पश्चातवर्ती संशोधन या उसकी पुर्नअधिनियमित भी सम्मिलित है, के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 अभिप्रेत है;

(च) "**मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं**" से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा प्रचालित विद्युत लाइनें अभिप्रेत हैं जहां ऐसी विद्युत लाइनों का, उनमें उपलब्ध अधिशेष क्षमता तक, विद्युत पारेषण करने के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए तथा उनकी ओर से उनके अनुरोध पर तथा टैरिफ या प्रभार के संदाय पर उपयोग किया जा सकता है।

(छ) "**पक्षकार**" से आवेदक तथा मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं का स्वामी या उनको प्रचालित करने वाला अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है;

(ज) "**समय ब्लॉक**" से दिन में 00.00 घंटे से आरंभ होने वाला 15 मिनट का समय ब्लॉक अभिप्रेत है;

(2) जब तक कि यथा पूर्वोक्त या संदर्भ या विषयवस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम, नियमों या आयोग द्वारा इसके अधीन बनाए गए किसी अन्य विनियमों में परिभाषित हैं, का वहीं अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम, नियम या विनियमों में उनका है।

**3. विस्तार तथा लागू होना**

(1) ये विनियम केवल वहां लागू होंगे जहां संविदा मार्ग की पहचान की जा सकती है।

(2) ये विनियम वहां लागू होंगे जहां अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा प्रचालित अंतर-राज्यिक पारेषण के आनुषंगिक मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं का उपयोग दीर्घ-कालिक पहुंच, मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच या अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच के माध्यम से पारेषण ऊर्जा के पारेषण के लिए किसी व्यापार अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाता है या उपयोग किए जाने का प्रस्ताव करते हों तथा जहां संविदा करने वाले पक्षकार अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन यथापरिकल्पित ऐसी मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं का

उपयोग करने के लिए दरों तथा प्रभारों पर आपस में करार करने में असफल हो गए हों।

(3) इन विनियमों में अंतर्विष्ट निबंधन और शर्तें मॉडल निबंधन तथा शर्तें होंगी तथा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट दर तथा प्रभार उच्चतम दर तथा प्रभार होंगे और पक्षकार इन विनियमों के अधीन अधिकथित व्यापक फ्रेमवर्क के भीतर दरों तथा प्रभारों और निबंधनों तथा शर्तों के लिए बातचीत कर सकेंगे :

परंतु यह कि इन विनियमों की अधिसूचना के पूर्व, किसी मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोग के लिए किए गए करार, चाहे वे संविदा करने वाले पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से किए गए हों या समुचित आयोग द्वारा पारित आदेशों के आधार पर किए गए हों, ऐसे करारों की समाप्ति तक इन विनियमों से असंगत किसी बात के होते हुए भी, निरंतर प्रभावी रहेंगे।

(4) पारेषण उपलब्धता के संनियम, यथास्थिति, आयोग या राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा क्रमशः बनाए गए विनियमों में उपबंधित होंगे। यदि राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा कोई भी उपलब्धता संनियम विहित न किए गए हो वहां ऊर्जा के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए आयोग द्वारा बनाए गए संनियम लागू होंगे।

(5) ऊर्जा के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए संविदा मार्ग संबंधी संकुलन का निरूपण केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन अवमुक्ति के उपाय) विनियम, 2009 तथा राज्य-पारेषण प्रणाली के लिए विषय संबंधी राज्य विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के अनुसार किया जाएगा। यदि राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा संकुलन संबंधी विनियम नहीं बनाए हों तो केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन अवमुक्ति के उपाय) विनियम, 2009 लागू होंगे।

## अध्याय 2
## दरें तथा प्रभार

**4. दर तथा प्रभार**

मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोग के लिए दरें तथा प्रभार इन विनियमों की अनुसूची-1 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट होंगी । संविदा मार्ग पर आधारित विनिर्दिष्ट दरें तथा प्रभार 50 किलोमीटर या उसके भाग के मानक दूरी के लिए है :

परंतु यह कि यदि प्रश्नगत संविदा की वार्षिक नियत लागत या वार्षिक राजस्व अपेक्षा का अवधारण, यथास्थिति, आयोग या किसी राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा

पहले ही किया गया है तब आवेदक द्वारा इस प्रकार अवधारित पारेषण प्रभारों की भागीदारी अनुसूची-2 में दी गई लाइन में मेगावाट में ऊर्जा प्रवाह की व्यस्ततम क्षमता के लिए पोस्ट फैक्टों आधार पर अवधारित संव्यवहार के मेगावाट में औसत ऊर्जा प्रवाह के अनुपात में होगी।

## अध्याय 3
## निबंधन और शर्तें

5. **आवेदन का प्रस्तुत किया जाना:** विद्युत लाइनों के स्वामित्व या उनको प्रचालित करने वाले अनुज्ञप्तिधारी को किए गए मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोग के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन में निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे :

(क) प्रदायकर्ता तथा विक्रेता का नाम तथा अवस्थान;

(ख) अनुसूचित किए जाने वाले संविदागत ऊर्जा (मेगावाट) की मात्रा तथा वह इंटरफेस जिस पर इसे अंतरित किया जाता है;

(ग) अंतःक्षेपण का स्थान तथा निकासी का स्थान; तथा

(घ) उस प्रत्येक तारीख के साथ आरंभिक या अंतिम समय-ब्लॉक जिसके दौरान पारेषण सुविधाएं अपेक्षित हैं।

6. **मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के स्वामी या उनको प्रचालित करने वाले अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सहमति :** नेटवर्क में अधिशेष पारेषण क्षमता की उपलब्धता की दशा में, मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के स्वामी या उनको प्रचालित करने वाले अनुज्ञप्तिधारी विनियम 5 में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर 3 कार्य दिवस के भीतर अपनी सहमति देगा।

7. **अनुसूचीकरण :** अनुसूचीकरण ग्रिड संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

8. **संदाय प्रतिभूति :** एक मास तक की अवधि तक मध्यवर्ती पारेषण सुविधा के अल्पकालिक उपयोग के लिए आवेदक उपयोग की सहमति प्रदत्त करने की तारीख से तीन कार्य दिवस के भीतर पक्षकरों द्वारा आपस में तय या यदि वे आपस में तय करने में असमर्थ हों, आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दरों तथा प्रभारों को मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं का स्वामित्व रखने वाले अनुज्ञप्तिधारी के पास जमा करेगा। एक मास से अधिक की अवधि के लिए उपयोग करने हेतु पारेषण प्रभारों की बिलिंग मासिक आधार पर मास के अंत में पोस्ट फैक्टों तथा समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के अनुसार किए गए संदाय के आधार पर की जाएगी।

9. **संदाय में व्यतिक्रम** : एक मास तक मध्यवर्ती पारेषण सुविधा का उपयोग करने के लिए पारेषण प्रभारों के संदाय में व्यतिक्रम करने वाला आवेदक व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए बकाया प्रभारों पर 0.04% की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगा :

परंतु यह कि लगातार व्यतिक्रम करने की दशा में, मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं का स्वामित्व रखने वाला या उनको प्रचालित करने वाला अनुज्ञप्तिधारी संव्यवहार की अनुसूची न करने का विनिश्चय कर सकेगा या पहले ही अनुसूचित संव्यवहार की अनुसूचीकरण को रद्द कर सकेगा या भविष्य में, जब तक व्यतिक्रम दूर नहीं किया जाता है, ऐसे व्यक्ति द्वारा इन विनियमों के अधीन किए गए किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसा विनिश्चय आयोग की पूर्व सहमति से लिया जाना चाहिए।

10. **ऊर्जा लेखांकन तथा विचलन का परिनिर्धारण** : दो पक्षकरों के बीच ऊर्जा के किसी आदान-प्रदान के ऊर्जा लेखांकन के लिए अपेक्षित ऊर्जा मीटरिंग अवसंरचना ग्रिड संहिता के अनुसार प्रदान की जाएगी तथा ऊर्जा में संविदागत प्रवाह की बाबत ऊर्जा का कोई भी वास्तविक समय विचलन निपटान, समय-समय पर, यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 के अनुसार या ऐसी किसी अन्य पद्धति के अनुसार किया जाएगा, जो पक्षकारों के बीच परस्पर में तय हो।

11. **रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार** : मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं में संव्यवहार के लिए रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार ग्रिड संहिता के अनुसार होगा।

12. **पारेषण हानि** : प्रयुक्त प्रत्येक 50 किलोमीटर तक की लाइन के लिए पारेषण हानियां निम्नानुसार होंगी :

| क्रम संख्या | पारेषण प्रणाली का प्रकार | लाइन हानियां (%) |
|---|---|---|
| 1 | 440 केवी | 0.5% |
| 2 | 220 केवी | 1.0% |
| 3 | 132 केवी | 4.3% |
| 4 | 66 केवी | 8.0% |

## अध्याय 4
## प्रकीर्ण

13. **विवाद समाधान** : इन विनियमों के अधीन उद्भूत सभी विवाद (जिसमें संविदा मार्ग पद्धति संबंधी विवाद भी है) व्यथित पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर आयोग द्वारा न्यायनिर्णीत किए जाएंगे।

3751 GI/10-2

14. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति :** यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो आयोग साधारण या विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेगा जो अधिनियम के उपबंधों के असंगत हों तथा जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

**अनुसूची-1**

| क्रम संख्या | पारेषण प्रणाली का प्रकार | लाइन क्षमता | दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए दरें और प्रभार | दरें तथा प्रभार (अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए) |
|---|---|---|---|---|
| | | मेगावाट | रुपए/मेगावाट/वर्ष | रुपए/मेगावाट घंटे |
| 1 | 400 केवी (डी/सी) | 900 | 97,584 | 11.14 |
| 2 | 400 केवी (एस/सी) | 450 | 109,006 | 12.44 |
| 3 | 220 केवी (डी/सी) | 500 | 118,198 | 13.49 |
| 4 | 220 केवी (डी/सी) | 250 | 145,318 | 16.59 |
| 5 | 132 केवी (डी/सी) | 180 | 182,525 | 20.84 |
| 6 | 132 केवी (एस/सी) | 90 | 325,209 | 37.12 |
| 7 | 66 केवी (डी/सी) | 54 | 540,339 | 61.68 |
| 8 | 66 केवी (एस/सी) | 27 | 682,244 | 77.88 |

डी/सी दोहरा सर्किट
एस/सी एकल सर्किट

**अनुसूची-2**

| क्रम संख्या | वोल्टता (केवी) | वह लाइन भार क्षमता जिस पर विचार किया गया है (मेगावाट) |
|---|---|---|
| 1 | 400 | 450 |
| 2 | 220 | 250 |
| 3 | 132 | 90 |
| 4 | 66 | 27 |

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/10/असा.]